



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092021-230050
CG-DL-E-29092021-230050

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557]
No. 557]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 2021/आश्विन 7, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 29, 2021/ASVINA 7, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 674(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेश व्यापार महानिदेशालय (उच्च श्रेणी लिपिक), भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विदेश व्यापार महानिदेशालय में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेश व्यापार महानिदेशालय (उच्च श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन—मैट्रिक्स में स्तर**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इसके साथ संलग्न वेतन—मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अहंताएं, आदि**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहंताएं और उससे संबंधित अन्य मामले वही होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता**—वह व्यक्ति,—

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिनका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

- (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह इसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उच्च श्रेणी लिपिक	405* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। पश्चिमी क्षेत्र: 154 दक्षिण क्षेत्र: 69 पूर्वी क्षेत्र: 88 उत्तरी क्षेत्र: 94 कुल : 405*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	स्तर-4 (25500-81100/-रु.)	अचयन।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वेतन मैट्रिक्स में स्तर, जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में अवर श्रेणी लिपिक स्तर-2(19900-63200/-रु) टिप्पण: जहां कनिष्ठों ने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, और जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे ऐसी योग्यता/पात्रता सेवा के लिए आधे से अधिक या दो वर्ष की अपेक्षित योग्यता पात्रता सेवा से कम पूरी न हों, जो भी कम हो, और अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार के अधिकारी: (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण करना; या (ii) अवर श्रेणी लिपिक या समकक्ष के ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा के साथ। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टिकरण पर विचार के लिए) जिनमें सम्मिलित हैं: 1. संबंधित क्षेत्र के संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार—अध्यक्ष; 2. संबंधित क्षेत्र के उप महानिदेशक विदेश व्यापार (प्रशासन)—सदस्य; 3. अनुसूचित जाति/जन जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्षेत्रीय मुख्यालय स्थान पर स्थित किसी भी केन्द्रीय सरकार कार्यालय से अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी—सदस्य; 4. मुख्यालय से उप महानिदेशक/या सहायक महानिदेशक (प्रशासन)—सदस्य सचिव।	लागू नहीं।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2021

G.S.R. 674(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Foreign Trade (Upper Division Clerk), Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk in the Directorate General of Foreign Trade, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Directorate General of Foreign Trade (Upper Division Clerk) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matter relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. Disqualification. – No person, —

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(ii) who are having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall not be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled castes, the Scheduled tribes, Other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Posts.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Upper Division Clerk	405* (2021) *subject to variation depending on workload. Western Zone : 154 Southern Zone: 69 Eastern Zone : 88 Northern Zone : 94 Total : 405*	General Central Service Group 'C', (Non-gazetted) Non-ministerial	Level- 4 (Rs. 25500-81100/-)	Non-selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, level in the pay matrix from which promotion or deputation / absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion : Lower Division Clerks level - 2(Rs.19900-63200/-) in the pay matrix with five years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation : Officers of the Central Government : (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in the grade of lower division clerk or equivalent. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Joint Director General of Foreign Trade (Admn) of the Zone concerned. – Chairman; 2. Deputy Director General of Foreign Trade (Administration) of the Zone concerned. – Member; 3. An officer of the rank of Under Secretary or equivalent from any of the Central Government Office located at Zonal Headquarters location to represent SC/ST. – Member; 4. Deputy Director General of Foreign Trade/or Assistant Director General of Foreign Trade (Administration of the Headquarters). – Member Secretary.	Not applicable.

Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be Not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--

[F. No. A-12018/4/2018/HRD-II]

SUHRUT KUMAR MOHAPATRA, Dy. Director General of Foreign Trade